



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30122025-268928
CG-DL-E-30122025-268928

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5902]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 30, 2025/पौष 9, 1947

No. 5902]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 30, 2025/PAUSHA 9, 1947

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2025

सं. 78/2025-सीमा शुल्क (गै.टै.)

का.आ. 6102(अ).— सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, इस बात से संतुष्ट होने पर कि ऐसा करना आवश्यक एवं समीचीन है, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 36/2001-सीमा शुल्क (गै. टै.), दिनांक 3 अगस्त, 2001, जिसे का.आ. 748 (अ), दिनांक 3 अगस्त, 2001 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड-3, उपखंड (ii) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी-1, सारणी-2 और सारणी-3 के स्थान पर निम्नलिखित सारणियाँ प्रतिस्थापित की जाएँगी, अर्थात्:-

"सारणी-1

क्रम. सं.	अध्याय/शीर्ष/उपशीर्ष/ टैरिफ मद	माल का विवरण	टैरिफ मूल्य (अमरीकी डालर प्रति मीट्रिक टन)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	1511 10 00	कच्चा पॉम ऑयल	1035 (अर्थात कोई परिवर्तन नहीं)
2	1511 90 10	आर बी डी पॉम ऑयल	1076 (अर्थात कोई परिवर्तन नहीं)
3	1511 90 90	अन्य पॉम ऑयल	1056 (अर्थात कोई परिवर्तन नहीं)
4	1511 10 00	कच्चा पामोलिन	1082 (अर्थात कोई परिवर्तन नहीं)
5	1511 90 20	आर बी डी पामोलीन	1085 (अर्थात कोई परिवर्तन नहीं)
6	1511 90 90	अन्य पामोलीन	1084 (अर्थात कोई परिवर्तन नहीं)
7	1507 10 00	सोयाबीन का कच्चा तेल	1184 (अर्थात कोई परिवर्तन नहीं)
8	7404 00 22	पीतल स्क्रैप (सभी ग्रेड)	6438 (अर्थात कोई परिवर्तन नहीं)

सारणी-2

क्रम. सं.	अध्याय/शीर्ष/ उपशीर्ष/ टैरिफ मद	माल का विवरण	टैरिफ मूल्य (अमरीकी डालर)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	71 या 98	स्वर्ण, किसी भी रूप में, जिसके सम्बन्ध में अधिसूचना संख्या 45/2025-सीमा शुल्क, दिनांक 24.10.2025 की प्रविष्टि संख्या 194 के अंतर्गत लाभ प्राप्त किया गया हो	1398 प्रति 10 ग्राम (अर्थात कोई परिवर्तन नहीं)
2	71 या 98	रजत, किसी भी रूप में, जिसके सम्बन्ध में अधिसूचना संख्या 45/2025-सीमा शुल्क, दिनांक 24.10.2025 की प्रविष्टि संख्या 195 के अंतर्गत लाभ प्राप्त किया गया हो	2406 प्रति किलोग्राम

3	71	(i) रजत, पदकीय या रजत सिक्कों से भिन्न किसी भी रूप में, जिसकी रजत अंतर्वस्तु 99.9 प्रतिशत से कम नहीं है या उपशीर्ष 7106 92 के अधीन आने वाले रजत के अर्ध विनिर्मित प्ररूप; (ii) पदकीय या रजत सिक्के, जिसकी रजत अंतर्वस्तु 99.9 प्रतिशत से कम नहीं है या डाक, कुरियर या सामान के माध्यम से ऐसे माल के आयात से भिन्न उपशीर्ष 7106 92 के अधीन आने वाले रजत के अर्ध विनिर्मित प्ररूप।	2406 प्रति किलोग्राम
---	----	---	----------------------

		स्पष्टीकरण - इस प्रविष्टि के प्रयोजनों के लिए, किसी भी प्ररूप में रजत के अंतर्गत विदेशी मुद्रा के सिक्के, रजत से बने आभूषण या रजत से बनी वस्तुएं नहीं हैं।	
4	71	(i) स्वर्ण बार, तोला बार से भिन्न, जिस पर विनिर्माणकर्ता या रियाइनर का खुदा हुआ क्रम संख्यांक और मिट्रिक यूनिटों में भार अभिव्यक्त है; (ii) स्वर्ण सिक्के, जिसमें 99.5 प्रतिशत से अन्यून स्वर्ण है, और स्वर्ण प्राप्तियां, डाक, कुरियर या बैगेज के माध्यम से ऐसे माल के आयात से भिन्न। स्पष्टीकरण - इस प्रविष्टि के प्रयोजन के लिए, "स्वर्ण प्राप्तियां" से कोई छोटा संघटक, जैसे हुक, क्लास्प, क्लैप, पिन, कैच, स्कू बैक, जिसका उपयोग पूर्ण आभूषण या उसके किसी भाग को स्थान में जोड़े रखने के लिए किया जाता है, अभिप्रेत है।	1398 प्रति 10 ग्राम (अर्थात् कोई परिवर्तन नहीं)

सारणी-3

क्रम. सं.	अध्याय/शीर्ष/उपशीर्ष/ टैरिफ मद	माल का विवरण	टैरिफ मूल्य (अमरीकी डालर प्रति मीट्रिक टन)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	080280	सुपारी	7679 (अर्थात् कोई परिवर्तन नहीं)"

2. यह अधिसूचना 31 दिसम्बर, 2025 से प्रभावी होगी।

[फा. सं. 467/01/2025-सीमा शुल्क. V]

इंद्रजीत पांडा, अवर सचिव

नोट:- मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड-3, उपखंड (ii) में अधिसूचना सं. 36/2001- सीमा शुल्क (गै.टै.), दिनांक 3 अगस्त, 2001, का.आ. 748 (अ), दिनांक 3 अगस्त, 2001 के तहत प्रकाशित की गई थी, तथा यह अंतिम बार अधिसूचना सं. 77/2025-सीमाशुल्क (गै.टै.), दिनांक 15 दिसम्बर 2025, जिसे का.आ. 5798 (अ) दिनांक 15 दिसम्बर 2025 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड-3, उपखंड (ii) में ई-प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th December, 2025

No. 78/2025-CUSTOMS (N.T.)

S.O. 6102(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Indirect Taxes & Customs, being satisfied that it is necessary and expedient to do so, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 36/2001-Customs (N.T.), dated the 3rd August, 2001, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (ii), vide number S.O. 748(E), dated the 3rd August, 2001, namely:-

In the said notification, for TABLE-1, TABLE-2, and TABLE-3 the following Tables shall be substituted, namely: -

“TABLE-1

Sl. No.	Chapter/ heading/ sub-heading/tariff item	Description of goods	Tariff value (US \$Per Metric Tonne)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	1511 10 00	Crude Palm Oil	1035 (i.e., no change)
2	1511 90 10	RBD Palm Oil	1076 (i.e., no change)
3	1511 90 90	Others – Palm Oil	1056 (i.e., no change)
4	1511 10 00	Crude Palmolein	1082 (i.e., no change)
5	1511 90 20	RBD Palmolein	1085 (i.e., no change)
6	1511 90 90	Others – Palmolein	1084 (i.e., no change)
7	1507 10 00	Crude Soya bean Oil	1184 (i.e., no change)
8	7404 00 22	Brass Scrap (all grades)	6438 (i.e., no change)

TABLE-2

Sl. No.	Chapter/ heading/ sub-heading/tariff item	Description of goods	Tariff value (US \$)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	71 or 98	Gold, in any form, in respect of which the benefit of entries at serial number 194 of the Notification No. 45/2025-Customs dated 24.10.2025 is availed	1398 per 10 grams (i.e., no change)
2.	71 or 98	Silver, in any form, in respect of which the benefit of entries at serial number 195 of the Notification No. 45/2025-Customs dated 24.10.2025 is availed	2406 per kilogram
	71	(i) Silver, in any form, other than medallions and silver coins having silver content not below 99.9% or semi-manufactured forms of silver falling under sub-heading 7106 92; (ii) Medallions and silver coins having silver content not	2406 per kilogram

3.		below 99.9% or semi-manufactured forms of silver falling under sub-heading 7106 92, other than imports of such goods through post, courier or baggage. Explanation. - For the purposes of this entry, silver in any form shall not include foreign currency coins, jewellery made of silver or articles made of silver.	
4.	71	(i) Gold bars, other than tola bars, bearing manufacturer's or refiner's engraved serial number and weight expressed in metric units; (ii) Gold coins having gold content not below 99.5% and gold findings, other than imports of such goods through post, courier or baggage. Explanation. - For the purposes of this entry, "gold findings" means a small component such as hook, clasp, clamp, pin, catch, screw back used to hold the whole or a part of a piece of Jewellery in place.	1398 per 10 grams (i.e., no change)

TABLE-3

Sl. No.	Chapter/ heading/ sub-heading/tariff item	Description of goods	Tariff value (US \$ Per Metric Ton)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	080280	Areca nuts	7679 (i.e., no change)"

2. This notification shall come into force with effect from the 31st day of December, 2025.

[F. No. 467/01/2025-Cus.V]

INDRAJIT PANDA, Under Secy.

Note: -The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (ii), vide Notification No. 36/2001–Customs (N.T.), dated the 3rd August, 2001, vide number S. O. 748 (E), dated the 3rd August, 2001 and was last amended vide Notification No. 77/2025-Customs (N.T.), dated the 15th December 2025 e-published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (ii), vide number S.O. 5798 (E), dated 15th December 2025 .